न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील /एलआर/2675/2005/जोधपुर

चेनाराम पुत्र श्री मानाराम जाति बिश्नोई निवासी फतेह सागर तहसील फलौदी जिला जोधपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1– इन्द्रा पुत्री स्व. भीयाराम जाति बिश्नोई पत्नी श्री हनुमानाराम निवासी फतेह सागर तहसील फलौदी जिला जोधपुर हाल निवासी भोजाकोर (गुमानपुरा) तहसील फलौदी जिला जोधपुर।

2– पप्पूराम पुत्र श्री भीयाराम जाति बिश्नोई निवासी फतेह सागर अव्यस्क द्वारा विधिक संरक्षक श्री रामाकिशन बिश्नोई एडवोकेट फलौदी जिला जोधपुर।

..... प्रत्यर्थीगण

एकल–पीठ

श्री अविनाश चौधरी, सदस्य

उपस्थित :

श्री एन. आर. पुनिया, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी।

श्री एस. एम. परिहार, विद्वान अधिवक्तागण वास्ते प्रत्यर्थीगण।

निर्णय दिनांक 16/2/23

1– यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा अपील संख्या 56/2000 में पारित निर्णय दिनांक 17–2–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम फतेहसागर (पीलवा) तहसील फलौदी की सीमा में स्थित भूमि

खसरा संख्या 771, 800 रकबा 52 बीघा 9 बिस्वा व खसरा संख्या 770 रकबा 5 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी कुल क्षेत्रफल 52 बीघा 14 बिस्वा के आधे हिस्से का खातेदार भीयाराम पुत्र खानूराम था। भीयांराम के देहान्त के समय भीयांराम के पीछे उसकी विधवा श्रीमति गोमती उसका लडका हनुमान व पप्पूराम व उसकी लड़की इन्द्रा उत्तराधिकारी थे, परंतु ग्राम पंचायत ने अकेले हनुमान के नाम से नामांतकरण संख्या 1217 दिनांक 9–4–83 को स्वीकार कर लिया। हनुमान भी वर्ष 1987 के करीब फौत हो गया, जिसका फौतगी नामांतरकरण संख्या 64 स्वीकार किया गया। इसके अनुसार वादग्रस्त भूमि के भीयांराम वाले आधे हिस्से पर पप्पूराम पुत्र भीयांराम, इन्द्रा देवी पुत्री भीयांराम व गोमती बेवा भीयांराम का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या 1 इन्द्रा की ओर से लादूराम पुत्र खानूराम ने उसका संरक्षक बनकर अपर जिला कलेक्टर, जोधपुर के समक्ष एक अपील पेश की, जो दिनांक 19–9–96 को स्वीकार कर पुनः जांच के लिये मामला तहसीलदार फलौदी को प्रति प्रेषित किया गया। अपर जिला कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त में पेश की गई, जिसमें अपर जिला कलेक्टर के आदेश को बहाल रखा था। प्रकरण प्रतिप्रेषित होने के बाद तहसीलदार फलौदी ने अपने आदेश दिनांक 7–7–2000 के द्वारा वादग्रस्त भूमि के आधे हिस्से हनुमानराम की उत्तराधिकारी प्रत्यर्थी संख्या 1 इन्द्रा को मानकर हनुमान के स्थान पर उसका नाम दर्ज करने का आदेश दिया। अपीलार्थी उक्त वादग्रस्त भूमि में से खसरा संख्या 800 रकबा 15 बीघा 1 बिस्वा के आधे हिस्से का खरीददार है, जो अपीलार्थी द्वारा दिनांक 19–6–95 को पंजीबद्ध बेचान के द्वारा खरीद कर कब्जा प्राप्त किया, जिसका नामांतरकरण संख्या 146 दिनांक 25–7–95 को स्वीकार किया गया। तहसीलदार के आदेश दिनांक 7–7–2000 के द्वारा अपीलार्थी की उक्त खरीदी गई भूमि का भी नामांतरकरण प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम से स्वीकार

किये जाने के आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर के समक्ष पेश की गई। न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 17–2–2005 के द्वारा अपीलार्थी की अपील को सारहीन होना मानकर खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर का निर्णय न्याय, नियम व रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। तहसीलदार फलौदी ने वादग्रस्त भूमि का नामांतरकरण स्व. भीयांराम व हनुमानराम का उत्तराधिकारी प्रत्यर्थी संख्या 1 इन्द्रा को मानने में भूल की है। तहसीलदार ने मामला जांच के लिये रिमाण्ड होने के बाद मौके व कब्जे की एवं स्व. भीयांराम व हनुमान के फौत होने के बाद राजस्व अभिलेखों में हुए परिवर्तन की जांच किये बिना केवल शपथ पत्रों के आधार पर स्व. हनुमानराम की उत्तराधिकारी अकेली इन्द्रा को मानकर कानून के सिद्धांतों के विपरीत आदेश पारित किया है। वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 800 का अपीलार्थी सद्भाविक खरीददार है, जिसने पूर्ण प्रतिफल देकर श्रीमति गोमती जो कि प्रत्यर्थी संख्या 1 की माता है, से खरीदा है। गोमती रेस्पोंडेंट की संरक्षिका थी। इन्द्रा पप्पूराम व हनुमान गोमती के साथ ही रहते थे। गोमती ने किसी से पुनर्विवाह नहीं किया। पुनर्विवाह की कहानी सोची समझी एवं अपीलार्थी के हक व खरीद की गई भूमि को हड़प करने की नियत से बनाई गई है। संपूर्ण कार्यवाही में तहसीलदार ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया। तहसीलदार ने केवल शपथ पत्र को आधार मानकर श्रीमति गोमती द्वारा पुनर्विवाह करने के तथ्य को विधि विरूद्ध स्वीकार किया है। शपथ पत्र कोई साक्ष्य नहीं है। उक्त तथ्य के

खण्डन हेतु अन्य शपथ पत्र पत्रावली पर मौजूद थे, उनको नहीं मानने का कोई कारण अंकित नहीं किया है। इसके अलावा गांव की मतदाता सूची, राशन कार्ड, परिचय पत्र, राजस्व अभिलेख सब में गोमती भीयांराम की विधवा के रूप में अंकित है। गोमती व भीयांराम की भूमि जोधपुर लिफ्ट में अवाप्त होने पर उसका अवार्ड गोमती के नाम भीयांराम की विधवा के रूप में जारी किया गया। ये सब सरकारी दस्तावेज है। उक्त दस्तावेजों के खण्डन में अन्य कोई सरकारी दस्तावेज तहसीलदार की जांच पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। गोमती द्वारा पुनर्विवाह करने का एंव पप्पूराम की उम्र के बारे में कोई सबूत पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने पर भी 8–9 वर्ष की मानकर उसको भाखराराम की संतान अपीलाधीन आदेश में गलत माना गया। उक्त समस्त आधार कल्पना मात्र पर तैयार किये गये है। अतः हस्तगत् अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जावे एवं नामांतरकरण सं. 146 बहाल रखा जावे।

4– उपरोक्त तर्को का प्रतिरोध करते हुये विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने बहस में कहा कि चैनाराम को अपील पेश करने का अधिकार नहीं था। तहसीलदार ने प्रकरण रिमाण्ड होने पर मृतक भींयाराम के वारिसानों की जांच करने के बाद उसके वारिसों के नाम रिकोर्ड में दर्ज करने के आदेश दिया है। तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाहीं न्यायालयों के आदेश की पालना में की गई है। अपीलार्थी अगर कोई भूमि रेस्पोडेंट इंद्रा की माता गोमती से खरीदना बताता है तो इसके लिये उसके हस्तांतरण के आधार पर अपने नाम इंद्राज करने की कार्यवाहीं पृथक से करनी चाहिये। तहसीलदार का आदेश निरस्त होने की स्थिति में अपीलार्थी को अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश समवर्ती निष्कर्ष है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक या तथ्यात्मक भूल नहीं की गयी है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

5— बहस पक्षकारान सुनी गई एवं पत्रावली व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया।

6— पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि तहसीलदार फलौदी के आदेश दिनांक 7—7—2000 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर के समक्ष पेश की गई, जिसे न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 17—2—2005 के द्वारा खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी चेनाराम ने गोमती से विवादित आराजी क्रय की है तथा उक्त क्रय के आधार पर गोमती के हिस्से की हद तक नामांतरकरण की कार्यवाही के संबंध में चेनाराम द्वारा प्रथमतः न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो खारिज होने के पश्चात् अपीलार्थी चेनाराम ने इस न्यायालय के समक्ष अपील पेश की है। प्रत्यर्थीगण का प्रश्नगत आराजी में गोमती की विरासत के संबंध में यह अभिकथन रहा है कि भीयांराम की मृत्यु के पश्चात् गोमती ने अन्य व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया, इसलिये गोमती का भीयांराम की संपत्ति में कोई उत्तराधिकार संबंधी हक शेष नहीं रहता है। इस संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि गोमती को भीयांराम के उत्तराधिकारी के रूप में संपत्ति नहीं मिली है, बल्कि उसके पुत्र हनुमान की मृत्यु के लाऔलाद फौत होने पर उसे उत्तराधिकार में प्रश्नगत संपत्ति प्राप्त हुई है। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि भीयांराम की मृत्यु पर उसकी समस्त संपत्ति हनुमान के नाम दर्ज हुई है तथा हनुमान की मृत्यु के पश्चात् विवादित नामांतरकरण संख्या 64 भरा गया, जिसमें गोमती को भी उत्तराधिकारी के रूप में हिस्सा दिया गया है। अतः उक्त तथ्यों से

स्पष्ट है कि गोमती को भीयांराम के उत्तराधिकारी के नाते विवादित आराजी प्राप्त नहीं हुई है, बल्कि उसके पुत्र हनुमान की मृत्यु के पश्चात् उसके उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त हुई है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 व अनुसूची के वर्ग 1 से स्पष्ट है कि माता किसी पुत्र की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत श्रीमति **कस्तूरी देवी बनाम डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलीडेंशन वगैरह, 1976 एआईआर 2595** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्टतः अवधारित किया है कि–

> "HELD: Kasturi claimed inheritance not as a widow of her husband Madhua but as the mother of Karua. We are entirely in agreement with the view that "unchastity of a mother is no bar to her succeeding as heir to her son, nor does her remarriage constitute any such bar". Under the Hindu law, the bar of inheritance would not apply to a mother, as it would to a widow. [27B-D]."

इसी प्रकार माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत **मन्तोराबाई बनाम परेतन बाई वगैरह, एआईआर 1972 (एमपी) 145** में यह अवधारित किया है कि माता ने भले पुनर्विवाह कर लिया हो, पुत्र की संपत्ति में उसे उत्तराधिकार प्राप्त होगा। इस प्रकार उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में यह स्पष्ट है कि माता के पुनर्विवाह करने से पुत्र की संपत्ति में उसका उत्तराधिकार समाप्त नहीं होता है, किन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय अपास्त करते हुए संबंधित तहसीलदार को प्रकरण, गोमती को हनुमान का उत्तराधिकारी मानते हुए नामान्तरकरण के संबंध में आदेश पारित करने के निर्देश के साथ, प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7— परिणामतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त जोधपुर का निर्णय दिनांक 17—2—05 एंव तहसीलदार फलौदी द्वारा पारित आदेश दिनांक 7—7—2000 विधि सम्मत नहीं होने के कारण अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार फलौदी को पैरा नंबर—6 में दिये गये अभिमत के अनुसरण में पुनः आदेश हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभय पक्ष तहसीलदार फलौदी के समक्ष अग्रिम कार्यवाहीं हेतु दिनांक 13—3—2023 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख इस निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अविनाश चौधरी)

सदस्य